

234
24

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 24-5-24 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

145
24

पत्रावली पेश हुई, अभियाचकगण द्वारा
पत्रावली को पेश करने का आदेश जारी रखने
से पत्रावली दिनांक 24 को पेश हो ।

66
24

पत्रावली पेश हुई, वकील तार्थी उपाख्येत् विपक्षीगण
के सम्मन बाद वासिल होकर रजिस्ट्र एडी मप डिप्लेरी रिपोर्ट
प्राप्त हुई जिले 2100 को किये गये । विपक्षीगण को बितनी
मर्तवा ककु - ककु कर आवाजे डिलायी जाने के बाद भी
उपाख्येत् नहीं । इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये
जाने का आदेश दिया जाता है। वकील तार्थी का
पत्रा-पत्र स्वीकार किया जाकर निविद पत्र से लिखा
जाकर 2100 को किया गया। पत्रावली के सब सुमार
लेकर नम्बर ले कर ले

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भोजवाड़ा

